

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
निविदा सूचना

TENDER FOR PHOTOCOPIER MACHINE CUM HEAVY DUTY PRINTER

क्रमांक : एसके / एचसी / 2014-15 / 359

दिनांक : 02.12.2014

राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों के उपयोगार्थ 28 नग Photocopier cum Heavy Duty Printer की एक मुश्त खरीद के सम्बन्ध में मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। (अनुमानित लागत 49.84 लाख रुपये)

निविदा प्रपत्र दिनांक 05.12.2014 से दिनांक 20.12.2014 तक कार्यालय समय में इस कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकेगा। मोहरबन्द निविदाएँ दिनांक 02.01.2015 को दोपहर 2 बजे तक इस कार्यालय के स्टोर अनुभाग में जमा की जायेगी एवं प्राप्त निविदाएँ दिनांक 02.01.2015 को ही सायঁ 4 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएंगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> पर एवं <http://dipr.rajasthan.gov.in> व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी देखी जा सकेगी।

आङ्गा से,


रजिस्ट्रार (प्रशासन),
21/12/2014

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्त ::

पृष्ठ संख्या - 1

1. निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में दिनांक 05.12.2014 से दिनांक 20.12.2014 तक इस कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) से निर्धारित शुल्क रूपये 400/- देकर प्राप्त किए जा सकते हैं।
2. पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 02.01.2015 को दोपहर 2 बजे तक इस कार्यालय के स्टोर अनुभाग में पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 02.01.2015 को ही सायं 4 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार्य नहीं होंगी।
3. उक्त निविदा राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन विभिन्न 28 अधीनस्थ न्यायालयों के उपयोगार्थ Photocopier cum Heavy Duty Printer को क्रय कर उपलब्ध करवाने हेतु की जा रही है, जिनकी सूची निम्न प्रकार से है -

क्र० सं०	सप्लाई किये जाने वाले स्थान का नाम	क्र० सं०	सप्लाई किये जाने वाले स्थान का नाम
01.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा, राजसमन्व	02.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाडमेर
03.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा, राजसमन्व	04.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीनमाल, जालौर
05.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कलादी, जोधपुर जिला	06.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खेतडी, झूलान
07.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश न०1, हिंजान, करोली	08.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंज मडी, कोटा
09.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बान्दोकुई, दौसा	10.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अकलेरा, जालावाड
11.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा, टॉक	12.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर सिटी, सवाईमधोपुर
13.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सालुम्बर, उदयपुर	14.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, छाबडा, बारी
15.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, केकडी, अजमेर	16.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, व्यावर, अजमेर
17.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़, अजमेर	18.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीकरणपुर, श्रीगगानगर
19.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रायसिंगनगर, श्रीगगानगर	20.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलोपगढ़, श्रीगगानगर
21.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुरतगढ़, श्रीगगानगर	22.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, काटपुतली, जयपुरजिला
23.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा, जयपुरजिला	24.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सामरलेक, जयपुरजिला
25.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चौमुख, जयपुरजिला	26.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा, भीलवाडा
27.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा, भीलवाडा	28.	अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नागौर

4. उक्त सूची में वर्णित सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर Photocopier cum Heavy Duty Printer की सप्लाई एक ही समय में करके एक मुश्त रूप में विपत्र भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता को निविदा प्रपत्र में वर्णित Photocopier cum Heavy Duty Printer का Catalogue/Details आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा तथा निविदादाता उक्त वर्णित स्थानों पर सर्विस उपलब्ध करवाने के लिये बाध्य रहेगा तथा इस सम्बन्ध में निविदादाता को अपने सर्विस सेण्टर/चेनल पार्टनर की सूची भी आवश्यक रूप से संलग्न करनी होंगी।
6. निविदादाता को Photocopier cum Heavy Duty Printer की सप्लाई उपर वर्णित सूची अनुसार विभिन्न अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय कार्यालय में (प्रत्येक स्थान पर एक Photocopier cum Heavy Duty Printer) इस कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर Supply and Installation कर उसकी Installation report with S.No. of item, Name & Signature of Receiver एवं संतोषजनक कार्य रिपोर्ट सहित इस कार्यालय को प्रेषित करनी होगी। बीजक भुगतान की कार्यवाही वारेंटी सहित इस कार्यालय को Photocopier cum Heavy Duty Printer की सप्लाई निश्चित स्थान पर Supply and Installation हो जाने की रिपोर्ट/भौतिक सत्यापन हो जाने एवं संतोषजनक कार्य रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही की जायेगी।
7. निविदा में सप्लाई की जाने वाली Photocopier cum Heavy Duty Printer का मेक, ब्राण्ड का नाम मॉडल नम्बर (यदि होतो) का वर्णन स्पष्ट रूप से किया जाना आवश्यक है, साथ ही मशीन की वारेंटी/गारंटी अवधि का पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप में वर्णित करना आवश्यक होगा।
8. निविदादाता द्वारा अनुमानित निविदा राशि (रूपये 49.84 लाख) का 2 प्रतिशत इस कार्यालय में अमानत राशि के रूप में नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होंगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

कार्यालयः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

पृष्ठ संख्या - 2

9. निविदा में दी गई दरें सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप में अंकित करनी होगी। निविदा में प्रस्तुत दरों में Photocopier cum Heavy Duty Printers को निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाने (Handling Charges) तथा स्थापित करने का व्यय (Installation Charge) भी सम्मिलित होगा, अलग से इसका कोई खर्च देय नहीं होगा।
10. सप्लाई आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर सप्लाई किये जाने वाले Photocopier cum Heavy Duty Printers की कुल कीमत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करवानी होगी। जमा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक करार पत्र जो कि कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगा, प्रस्तुत करना होगा। निविदा की सभी शर्तें तथा फर्म के साथ पत्र व्यवहार भी अनुबन्ध का भाग होगा।
11. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। समस्त सप्लाई आदेशानुसार वर्णित समय सीमा में वांछित गुणवत्ता/निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप एक साथ करनी होगी। माल आदेशानुसार नहीं होने पर निविदादाता के खर्च पर लौटाया जा सकेगा तथा ऐसा सामान बाजार से क्रय कर अंतर की राशि/अधिक व्यय सम्बन्धित निविदादाता से वसूल की जाएगी।
12. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने को पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा। विभाग न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा।
13. निदेशक इण्डस्ट्रीज एवं सप्लाई, राजस्थान के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म भी पंजीकृत वस्तुओं की निविदा दे सकती है। उनको धरोहर राशि जमा कराने की छुट का लाभ नियमानुसार देय होगा। किसी अन्य सप्लाई के लिए जमा धरोहर राशि का समायोजन इस निविदा पेटे नहीं किया जावेगा।
14. उक्त कार्य सम्पादन/आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा नहीं कोई जिम्मेवारी होगी।
15. सामग्री सप्लाई ओदश में वर्णित समय अवधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित समय) के भीतर ही करनी होगी। विलम्ब से सप्लाई पर नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी।
16. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को ख्यय के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा।
17. समस्त विधि कार्यवाही, दावा आदि किया जाना यदि आवश्यक हो तो उसका न्यायक्षेत्र केवल मात्र जोधपुर ही रहेगा।
18. विवाद एवं निर्वचन में अंतिम निर्णय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का होगा, जो कि सभी पक्षों को मान्य होगा।
19. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

मैंने/हमने, क्रम संख्या 1 से 19 सम्मुख वर्णित शर्तों को पढ़ लिया है तथा इनसे पूर्णतया सहमत हूँ/हैं तथा इसकी सहमति स्वरूप मैंने/हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर कर दिये हैं।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

४६

कार्यालयः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: फोटोकापीयर कम हेवी ड्यूटी प्रिण्टर का विवरण::

SPECIFICATION OF PHOTOCOPIER MACHINE CUM HEAVY DUTY PRINTER

• Speed	:40CPM or Higher
• Hard Disk	:Yes (250 GB or Higher)
• RAM	:Yes (2GB or Higher)
• Printer Interface	:Yes
• Color Scanner	:Yes
• Paper Capacity	:500 x 2 Trays
• Multipass Tray	:Yes (150 Sheet)
• Duplex copy / Printing(ARDF)	:Yes (Automatic)
• Scanning Speed	:80 ipm
• Trolley/ Stand	:Yes
• Paper Size	:B6 to A3 Accessory

Note : 1. Please mention warranty period of the Photocopier Machine

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (प्रशासन).